

क्रमांक :- प. 19 (3) सा.प्र./ग्रुप-4/13

जयपुर, दिनांक 31-12-13

मुख्य अभियन्ता,
सार्वजनिक निर्माण विभाग (भवन)
राजस्थान, जयपुर ।

विषय:-तृतीय एवं उनके समकक्ष श्रेणी के राजकीय आवासों में
परिवर्तन/परिवर्द्धन बाबत ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निम्नांकित तृतीय एवं उनके समकक्ष श्रेणी के राजकीय आवासों में परिवर्तन/परिवर्द्धन हेतु राशि रु. 5.41 लाख (अक्षरे पांच लाख इक्तालिस हजार मात्र) के व्यय के लिये राज्यपाल महोदया की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

क्रम संख्या	आवास संख्या	कार्य का विवरण	राशि लाखों में	राशि लाखों में
1	3/31, गांधीनगर	1. कोटा स्टोन 2. किचन रिनोवेशन 3. टॉयलेट रिनोवेशन 4. ऑयरन गेट	0.03 0.22 0.18 0.06	0.49
2	3/70 गांधीनगर	1.रफकोटा स्टोन 2.बाथ रिनोवेशन	0.20 0.10	0.30
3	3/97 गांधीनगर	1.किचन रिनोवेशन 2.कार शैड 3.स्टील विन्डो	0.20 0.23 0.05	0.48
4	3/109 गांधीनगर	1.टाईल फर्श	0.48	0.48
5	ई-7 गांधीनगर	1.फ्लश डोर 2.ए.सी. शैड	0.08 0.20	0.28
6	ई-8, गांधीनगर	1.किचन रिनोवेशन 2.टाईल फर्श	0.15 0.33	0.48
7	ई-731 गांधीनगर	1.टाईल फर्श 2.किचन रिनोवेशन	0.38 0.10	0.48
8	ई-738, गांधीनगर	1. ए.सी. शैड 2. कोटा स्टोन	0.30 0.19	0.49
9	उषा शर्मा जी ब्लॉक ओल्ड. एम. आर. ई. सी. गांधीनगर	1.टाईल फर्श	0.49	0.49
10	श्रीमती रजनी भावनानी एच-ब्लॉक, ओल्ड एम.आर. ई.सी. कैम्पस, गांधीनगर	1.किचन रिनोवेशन 2.बाथ रिनोवेशन 3.चारदीवारी 4.फर्श रिपेअर	0.28 0.10 0.05 0.05	0.48
11	डॉ सतिश आई ब्लॉक गांधीनगर	1.ए.सी.शैड 2.चारदीवारी	0.39 0.09	0.48
12	श्रीमती माया मीणा आर-ब्लॉक, ओल्ड एम.आर. ई.सी. कैम्पस, गांधीनगर	1. ए.सी. शैड 2. फ्लोर	0.29 0.19	0.48
		कुल योग रुपये		5.41

यह व्यय बजट मद 2216-आवास (हाउसिंग) 05-साधारण पूल आवास, 800-अन्य व्यय (01) निर्माण [07] तृतीय एवं चतुर्थ व उनके समकक्ष श्रेणी के अन्य आवासों के लिये, 16-लघु निर्माण कार्य (आयोजना भिन्न) से चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 में उपलब्ध प्रावधान में से वहन होगा ।

कृपया यह सुनिश्चित करावें कि संबंधित आवासों में स्वीकृत कार्यों पर ही राशि का व्यय किया जावे तथा कार्य पूर्ण करवाकर कम्प्लीशन प्रमाण पत्र भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें ।

इस विभाग के पत्र क्रमांक 19(1)सा.प्र.-4/2011 दिनांक 30.12.2011 के क्रम में लेख है कि समस्त आवासियों से बजट उपयोगिता प्रमाण पत्र लिए जाने का निर्णय लिया गया है। अतः कार्य पूर्ण होने पर समस्त आवासियों से बजट का उपयोगिता प्रमाण पत्र भी प्राप्त किया जावे।

समस्त वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं तथा सुस्थापित सिद्धांतों की प्रत्येक स्तर पर पालना सुनिश्चित की जावे तथा आपके विभाग के परिपत्र क्रमांक (184) SE(B)/Circulars/ C-144 दिनांक 13.07.2009 के दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए कार्य करवाया जाना सुनिश्चित करे।

भवदीय



(राजीव जैन)

संयुक्त शासन सचिव (क)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. महालेखाकार, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव सामान्य प्रशासन विभाग।
3. अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग नगर वृत्त जयपुर।
4. अधिशाशी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग नगर खण्ड-III, जयपुर।
5. अधिशाशी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग विद्युत खण्ड-III, जयपुर।
6. संबंधित आवासी।
7. रक्षित पत्रावली।



संयुक्त शासन सचिव (क)